डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) के माध्यम से केबल टीवी सेवाओं के प्रावधानों के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और लोकल केबल ऑपरेटर के बीच आदर्श अंतःसंबंधन समझौता (एमआईए)

अपने कार्यक्रमों और अनुलग्नकों के साथ यह तकनीकी और व्यावसायिक अंतःसबंध समझौता दिनांक ________ ________ 201__ को लागू किया गयाः

एम/एस. सिटी नेटवर्कस लिमिटेड, जिसका कि कार्यालय बी–10, एस्सेल हाउस, लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली में है, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, आगे ''एमएसओ'' के तौर पर उल्लेखित, जब तक कि इसका संदर्भ असंगत नहीं समझा जाएगा, तब तक इसके उत्तराधिकरियों, भागीदारों, कानूनी वारिसों और निष्पादकों को एक पक्ष समझा जाएगा।

और

____, _________________________________ अपने कार्यालय ______________________________ में, ____ अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से आगे **''एलसीओ''** के तौर पर उल्लेखित, जब तक कि इसके संदर्भ को असंगत नहीं समझा जएगा, तब तक इसके उत्तराधिकरियों, भागीदारों, कानूनी वारिसों और निष्पादकों को **दूसरा पक्ष** समझा जाएगा

एलसीओ की स्थितिः व्यक्तिगत/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगठन/व्यक्तिगत संगठन

एमएसओ और **एलसीओ** के लिए व्यक्तिगत तौर पर 'पार्टी' और समूह के तौर पर **''पार्टीज''** का उपयोग किया जाए।

जैसा कि,

क. एमएसओ एक केबल ऑपरेटर है। इसे केंद्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेक्शन 4ए के तहत पूरे भारत में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स के माध्यम से केबल टीवी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति मिली हुई है और जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, केबल टेलिविज़न नेटवर्क्स नियम, 1994 के अधीन (जोकि 5 जुलाई, 2025 तक वैध है) पंजीकृत किया गया है और इसकी पंजीकरण संख्या 9/50/2012–बीपीएंडएल, दिनांक 6 जुलाई, 2015 है।

ख. एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलिविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के तहत पंजीकृत किया गया है, जिसे ______________________________ (क्षेत्र का नाम) में, केबल टीवी सेवा प्रदान करने के लिए डाक पंजीकरण सं. ___________________ दिनांक ___________, मुख्य डाक घर _______________________ (मुख्य डाक घर का नाम) में, के तहत सुविधा प्रदान की गई है।

ग. एलसीओ ने एमएसओ से पत्र सं. ____________ दिनांक ____________ के माध्यम से टीवी चौनल के सिग्नल्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है तथा एमएसओ ने इसके लिए पत्र सं. ____________ दिनांक ____________ को एलसीओ को टीवी चैनल के सिग्नल प्रदान करने को मंजूरी दी है।

घ. क्षेत्रः इस समझौते के संदर्भ में ___________________ क्षेत्र निर्धारित है।

ङ. सभी पक्षों ने परस्पर सहमति से अपने क्षेत्र में टीवी चैनल का वितरण करना स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी उत्तरदायित्वों, भूमिकाओं, अधिकारों, बाध्यताओं तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक समझौते को भी मंजूरी प्रदान की है।

च. इसके अलावा, सभी पक्षों ने परस्पर सहमति से इस बात को भी मंजूरी प्रदान की है कि इनके बीच धन/संपत्ति सहित सभी लेन–देन लिखित या फिर अन्य प्रमाण योग्य माध्यमों से ही होगा।

अब, इस प्रकार, परस्पर सहमति पर आधारित समझौते के तहत जिन बातों पर सभी पक्षों ने सहमति व्यक्त की है, इस प्रकार हैः–

1. परिभाषाएँ

इस समझौते में उपयोग शब्दों और भावों का वही अर्थ समझा जाएगा जोकि इस समझौते के ~~कार्यक्रमों~~ में बताया गया है। इसके अलावा जिन अन्य शब्दों और भावों का उपयोग किया गया है और उसके बारे में इसमें ज़िक्र नहीं है, तो उसे केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियमन) एक्ट, 1995 (1995 का 7) के प्रावधानों के अनुसार दिए गए अर्थ के आधार पर ही समझा जाएगा।

2. समझौते की अवधि

2.1 यदि किसी भी पक्ष द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जाता है, तो यह समझौता एमएसओ और एलसीओ के पंजीकरण की अवधि समाप्त होने तक यानी __________ (दिनांक, महीना, साल) से लागू होकर __________ (तारीख, महीना, साल), जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

2.2 सभी पक्षों की परस्पर सहमति और लिखित दस्तावेजों के आधार पर समझौते की अवधि को एमएसओ या एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की अवधि या उससे पहले तक बढ़ाया जा सकता है।

3. अनुबंध की समाप्ति

3.1 किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को लिखित तौर पर 21 दिनों की अग्रिम सूचना देकर इन आधारों पर अनुबंध खत्म करने का अधिकार हैः–

(i) अगर कोई पक्ष समझौते के लिखित प्रावधानों का 15 दिन तक की समय सीमा में उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकता है; या

(ii) दिवालियापन, ऋण न चुकता करना या दूसरे पक्ष की संपत्ति पर रिसिवर नियुक्त करने के आधार पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है; या

(iii) अगर कोई पक्ष पाइरेसी में संलिप्त होता है या केबल टेलिविज़न नेटवर्क्स नियम, 1994 के द्वारा, जिसमें समय–समय पर संशोधित किया जाता है, निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने वाला कार्यक्रम टीवी चैनल को प्रदान करता है, तो दूसरे पक्ष को इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.2 एलसीओ को उस समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होता है, जब एमएसओ अपने कार्यक्षेत्र में टीवी चैनल्स के सिग्नल्स के पुनर्प्रसारण को रोक देता है।

3.3 एमएसओ को उस मौके पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, जब एलसीओ क्षेत्र में टीवी चैनल्स को अपना केबल टीवी व्यवसाय रोक देगा।

3.4 अगर किसी कारण से एमएसओ अपने क्षेत्र में टीवी चैनल्स के सिग्नल्स के पुनर्प्रसारण को रोकने का निर्णय लेता है, तो उसे इसे रोकने के 90 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना तथा कारण की जानकारी एलसीओ को देनी होगी।

3.5 यदि एलसीओ अपने कार्यक्षेत्र में टीवी चैनल को सिग्नल्स प्रदान करने का व्यवसाय रोकने का निर्णय लेता है, तो उसे इसके 90 दिन पहले इसकी लिखित सूचना और इसके कारणों की जानकारी एमएसओ को देनी होगी।

4. अनुबंध को रद्द करने और समाप्त होने का प्रभाव

4.1 अनुबंध समाप्त करने या अनुबंध की अवधि समाप्त होने की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो सकती है, किसी भी पक्ष के पास अगर दूसरे पक्ष को कोई बकाया हो तो उसे समाप्ति की अवधि के भीतर उस पक्ष को दूसरे पक्ष का बकाया भुगतान करना होगा।

4.2 एलसीओ, इस अनुबंध की समाप्ति की अवधि के 15 दिनों के भीतर, जैसी भी स्थिति हो सकती है, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एमएसओ की सारी धन एवं संपत्ति, जो उसके पास रखी हुई है, एमएसओ को सुपुर्द कर देगा।

एलसीओ के अधीन जो भी धन एवं संपत्ति एमएसओ की है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी एलसीओ की है और अगर इसे कुछ नुकसान हुआ है, तो उसे पूरा करने की पूरी ज़िम्मेदारी एलसीओ की होगी। एमएसओ से अनुबंध समाप्ति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एलसीओ को संपत्ति के नुकसान की भरपाई करनी होगी तथा इसके अलावा उसे एमएसओ के धन/संपत्ति के क्षरण की कीमत भी चुकानी होगी।

4.3 एमएसओ को अनुबंध के प्रवाधानों के आधार पर, एलसीओ की सारी संपत्ति, जो एमएसओ के नियंत्रण में है, अनुबंध की समाप्ति की अवधि के 15 दिनों के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, लौटानी होगी।

एमएसओ के पास भी एलसीओ की उन सारी संपत्तियों की ज़िम्मेदारी है, जो उसके नियंत्रण में है तथा अगर इसे कुछ नुकसान हुआ है, तो उसे पूरा करने की पूरी ज़िम्मेदारी एमएसओ की होगी, जो अनुबंध समाप्ति की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एमएसओ को उस संपत्ति के नुकसान की भरपाई करनी होगी तथा इसके अलावा उसे एलसीओ के धन/संपत्ति के क्षरण की कीमत भी चुकानी होगी।

4.4 अगर एलसीओ या एमएसओ किसी कारण से एक दूसरे की संपत्ति तथा उसकी बर्बादी की कीमत एवं संपत्ति के क्षरण की कीमत को दी गई अवधि के भीतर एक दूसरे को चुकता करने में विफल रहता है, तो उसे एसबीआई के आधार ऋण दर यानी 2 प्रतिशत या इससे अधिक के हिसाब से दूसरे पक्ष को देना होगा।

स्पष्टीकरणः– सब्सक्राइबर के घर में स्थापित किए गए एमएसओ या एलसीओ के हार्डवेयर या कोई अन्य उपकरणों के बारे में धारा 4.2 और 4.3 के तहत कोई आवेदन नहीं होगा।

5. सेवाओं के प्रावधान

5.1 एमएसओ इस अनुबंध के नियमों एवं इसके मानकों, नीतियों, उपयुक्त नियमों व कानूनों, संबंधित अधिकारियों के आदेशों, निर्देशों एवं विनियमों के अनुसार एलसीओ को अविशिष्ट आधार पर टीवी चैनल्स के सिग्नल उपलब्ध कराएगा, जिसे एलसीओ अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पुनर्प्रेषित करेगा।

5.2 एमएसओ के द्वारा अविशिष्ट आधार पर उपलब्ध कराए गए टीवी चैनल के सिग्नल्स को एलसीओ प्राप्त करेगा और अपने कार्यक्षेत्र के भीतर के ग्राहकों को वितरित करेगा।

5.3 पक्ष तथ्यों एवं कार्यक्रमों को केवल एन्क्रिप्टेड मोड में उपयुक्त नियम कानूनों के तहत डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से अनिवार्य तौर पर प्रसारित एवं पुनर्प्रसारित करेगा।

5.4 सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध के संबंध में पक्षों की भूमिकाएँ एवं ज़िम्मेदारियाँ इस अनुबंध की **खंड 10** में निहित हैं।

5.5 अनुबंध की **खंड 10** में बताई गई भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ और एमएसओ के बीच के राजस्व संबंधित समायोजन का प्रावधान अनुबंध की **खंड 12** में रखा गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस अनुबंध के अंतर्गत एमएसओ के पास केबल टीवी सेवा को दिए जाने वाले अपने नेटवर्क का स्वामित्व होगा और साथ ही वह ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना अपने इस नेटवर्क को विस्तार/उन्नत/परिवर्तित/बदल/इसके कुछ हिस्सों का या संपूर्ण रूप से इसकी संरचना में बदलाव ही कर सकता है।

6.2 एमएसओ संबंधित अधिकारियों के निर्देशों, आदेशों, विनियमों, नीतियों, मापदंडों तथा उपयुक्त नियमों व कानूनों को रखते हुए टीवी चैनल के सिग्नल्स को पुनर्प्रसारित करने के लिए प्रासारक के साथ अंतःसंबंधित अनुबंध करेगा।

6.3 एमएसओ के पास उपयुक्त नियमों व कानून कों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुसार प्रत्येक चैनल के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार होगा, जिसका भुगतान अंतिम रूप से ग्राहकों को करना पड़ेगा।

6.4 एमएसओ को नीतियों, उपयुक्त नियमों व कानूनों, मापदंडों, विनिमयों एवं टैरिफ आदेशों के अंतर्गत अपने व्यावसायिक योजना के आधार पर चैनल्स/नेटवर्क द्वारा दी गई सेवाओं के पैकेज का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित उपयुक्त टैरिफ आदेशों एवं विनियमों के प्रावधानों के आधार पर बेसिक सर्विस टीयर (बीएसटी) को निर्धारित करने का अधिकार होगा।

6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित उपयुक्त टैरिफ आदेशों एवं विनियमों के प्रावधानों की स्वीकृति के आधार पर चैनलों के समूहों का शुल्क तय करने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को एलसीओ से महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेने का अधिकार होगा ताकि वह अनुबंध एवं उपयुक्त आदेशों और विनियमों के द्वारा तय किए गए एलसीओ की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सके।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस अनुबंध के अंतर्गत एलसीओ के पास केबल टीवी सेवा को दिए जाने वाले अपने नेटवर्क का स्वामित्व होगा और साथ ही वह ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना अपने इस नेटवर्क को विस्तार दे सकता है, उन्नत कर सकता है, इसे परिवर्तित कर सकता है तथा इसके कुछ हिस्सों का या संपूर्ण रूप से इसकी संरचना को बदल ही सकता है।

7.2 एलसीओ को एमएसओ से आवश्यक सूचनाएँ लेने का अधिकार होगा ताकि वह अनुबंध एवं उपयुक्त आदेशों और विनियमों के द्वारा तय की गई एलसीओ की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सके।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ अपने ग्राहकों को कारगर और बाधाहीन सेवाएँ प्रदान करने के लिए चैनल, बिल साइकल या धन वापसी के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को रिकॉर्ड और उपलब्ध कराकर हेड–एंड, कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) स्थापित और संचालित करेगा।

8.2 एमएसओ चैनल्स, चैनल्स के समूह और मूल्य सहित ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं संबंधित आवश्यक और पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।

8.3 एमएसओ, एलसीओ की सेवाओं, भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों, राजस्व संबंधित समायोजन, सेवाओं की गुणवत्ता आदि संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएगा।

8.4 एमएसओ पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा और एसटीबी केवल कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (सीएएफ) का विवरण एसएमएस में दर्ज किए जाने के बाद ही सक्रिय किया जाएगा।

8.5 एमएसओ बिलिंग साइकल खत्म होने के तीन दिनों के भीतर ग्राहक को उनके बिलिंग साइकल के अनुसार नियमित आधार पर ग्राहकों के लिए और देय व भुगतान योग्य शुल्क के लिए बिल जारी करेगा।

8.6 एमएसओ, समझौते और उपयुक्त आदेशों व नियमों के तहत पार्टियों द्वारा ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण करने के उद्देश्य से अपने नियंत्रण वाले एसएमएस के संबंधित भाग तक एलसीओ को पहुँच उपलब्ध कराएगा।

8.7 एमएसओ किसी पाइरेसी या अन्य गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा, जिनका एलसीओ या ऐसे प्रसारण से जुड़े व्यक्ति के ट्रेड मार्क और कॉपीराइट की अवहेलना तथा उल्लघंन के तौर पर प्रभाव या परिणाम सामने आएँ।

8.8 एमएसओ कोई भी तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत जारी, प्रकाशित या परिचालित सभी तत्समय प्रवृत्त लागू विधियों या कानूनों, अन्य नियमों, कोड्स, विनियमों, अधिनियमों, सूचनाओं, परिपत्रों, दिशा–निर्देशों, आदेशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य या प्रयास नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत एलसीओ के केबल टीवी सिग्नल्स या एलसीओ के किसी संपत्ति से संबंधित अधिकार या हित की अवहेलना या पक्षपात हो।

8.10 एमएसओ पूर्ण सिग्नल के एंक्रिप्शन, ग्राहक के परिसर में एसटीबी लगने तक के लिए ज़िम्मेदार होगा।

8.11 एमएसओ, जैसा कि इन्टरकनेक्शन विनियमन में परिकल्पित है कि एलसीओ को प्रस्तावित डिस्कनेक्शन के स्पष्टता निर्दिष्ट कारण बताते हुए तीन सप्ताह की पूर्व सूचना दिए बिना सिग्नल डिस्कनेक्ट नहीं करेगा।

8.12 एमएसओ ग्राहकों के लिए ऑनलाइन भुगतान गेटवे, प्रीपेड सिस्टम और ग्राहकों से भुगतान प्राप्त होने पर ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद उपलब्ध कराएगा।

8.13 एमएसओ, एसटीबी में किसी गड़बड़ी के कारण प्रभावित सेवाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के लिए मेंटेनेंस स्पेयर के तौर पर पहले से असक्रिय 30 एसटीबी की ऊपरी सीमा सहित एलसीओ के नेटवर्क में सक्रिय कुल एसटीबी का कम से कम 2 प्रतिशत एलसीओ को उपलब्ध कराएगा। मेंटनेंस स्पेयर एसटीबी की यह संख्या समझौते की अवधि के दौरान बनी रहेगी।

8.14 एमएसओ पैकेज संयोजन में प्रस्तावित परिवर्तनों या ग्राहकों को पेश की जा रही खुदरा दरों के बारे मे एलसीओ को कम से कम 15 दिन पहले सूचित करेगा।

8.15 एलसीओ को पहले लिखित में सूचित किए बिना एमएसओ को इस समझौते के अंतर्गत किसी अधिकार या दायित्व को सौंपने या हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

8.16 एमएसओ द्वारा एलसीओ को बॉक्स उपखंड संख्या 8.13 के अनुसार प्रदान किए जाएंगे या अन्यथा कंपनी के प्रचलित नियम के अनुसार आदेय आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ ग्राहकों से प्राप्त सीएएफ की कॉपी 15 दिनों के अंदर एमएसओ को हस्तान्तरित करेगा।

9.2 एलसीओ को केबल टीवी सेवाओं के लिए व्यक्तिगत ग्राहक द्वारा भुगतान की गई बिल की राशि के विवरण की एसएमएस में प्रविष्टि के लिए एलसीओ ज़िम्मेदार होगा।

9.3 एलसीओ किसी पाइरेसी या अन्य गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा, जिनका एमएसओ या ऐसे पुनर्प्रसारण से जुड़े व्यक्ति के ट्रेड मार्क और कॉपीराइट की अवहेलना तथा उल्लघंन के तौर पर प्रभाव या परिणाम समाने आएँ।

9.4 एमएसओ को पहले लिखित में सूचित किए बिना एलसीओ को इस समझौते के अंतर्गत किसी अधिकार या दायित्व को सौंपने या हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

9.5 एलसीओ ग्राहकों का आवेदन फॉर्म द्वारा वर्तमान कनेक्शन के एसटीबी को वापस करने और कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म द्वारा नया कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से नहीं बदलेगा। नया सेट टॉप बॉक्स विवरण, जोकि नए एमएसओ के सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम में नए कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, दर्ज करने के बाद सक्रिया होगा।

9.6 एलसीओ –

(i) एमएसओ को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना किसी सिग्नल को, जो एमएसओ द्वारा हस्तान्तरित या उत्पन्न नहीं है, प्रसारित या पुनर्प्रसारित, प्रक्षेपित या संयुक्त नहीं करेगा।

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर कोई कमर्शियल या विज्ञापन या सूचना नहीं डालेगा। सिग्नल से इस तरह की छेड़छाड़ या सिग्नल का प्रक्षेपण इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और एमएसओ द्वारा समझौते के अंतर्गत या कानून के तहत निर्धारित सूचना देकर इस अनुबंध की समाप्ति का पर्याप्त कारण बनेगा।

(iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नल्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई डिकोडिंग, प्राप्ति, रिकॉर्डिंग उपकरण, नकली सेट टॉप बॉक्स या स्मार्ट कार्ड और अन्य ऐसे उपकरण इस्तेमाल नहीं करेगा।

(iv) सील (सेट टॉप बॉक्स को खोलने से रोकने के लिए) सहित हार्डवेयर में फेरबदल या छेड़छाड़, एमएसओ की लिखित सहमति के बिना स्मार्ट कार्ड या एसटीबी का दुरुपयोग, उनके संबंधित मूल पते से प्रतिस्थापन, हटाना, स्थानान्तरण नहीं करेगा।

(v) एसटीबी के इन्स्टॉलेशन से पहले या बाद में कोई डिकोडिंग, प्राप्ति, रिकॉर्डिंग उपकरण, नकली सेट टॉप बॉक्स, एसटीबी के अतिरिक्त स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स और एमएसओ द्वारा अनुमोदित/आपूर्ति किए जाने वाले किसी अन्य उपकरण का उपयोग नहीं करेगा और ऐसे ग्राहकों के खिलाफ एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

(vi) सील सहित हार्डवेयर में किसी फेरबदल, छेड़छाड़, एमएसओ की लिखित सहमति के बिना स्मार्ट कार्ड या एसटीबी के दुरुपयोग, उनके संबंधित मूल पते से प्रतिस्थापन, हटाने और स्थानान्तरण के संबंध में और एसटीबी से पहले या बाद में कोई डिकोडिंग, प्राप्ति, रिकॉर्डिंग उपकरण, नकली सेट टॉप बॉक्स, एसटीबी के अतिरिक्त स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स और एमएसओ द्वारा अनुमोदित/आपूर्ति किए जाने वाले किसी अन्य उपकरण के उपयोग के बारे में एमएसओ को तुरन्त सूचित करेगा और ऐसे ग्राहकों के खिलाफ एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

9.7 एलसीओ किसी अन्य संस्था को केबल टीवी सिग्नल्स के आगे पनुर्प्रसारण के लिए कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराएगा।

9.8 एलसीओ केबल टीवी सिग्नल्स को रिकॉर्ड या पुनर्प्रसारित नहीं करेगा या अन्यथा एमएसओ द्वारा प्रेषित किए जा रहे सिग्नल या ट्रंक लाइन को ब्लॉक, उसमें जोड़ या स्थानापन्न या उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देगा।

9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य या प्रयास नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत एमएसओ के केबल टीवी सिग्नल्स या एमएसओ के किसी संपत्ति से संबंधित अधिकार या हित की अवहेलना या पक्षपात हो।

9.10 एलसीओ, अनुबंध और उपयुक्त आदेशों व नियमों के तहत पार्टियों द्वारा ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण करने के उद्देश्य से अपने नियंत्रण वाली प्रणाली में अविशिष्ट आधार पर एमएसओ को पहुँच उपलब्ध कराएगा।

9.11 एलसीओ, जैसा कि इन्टरकनेक्शन नियमों में परिकल्पित है कि एमएसओ को प्रस्तावित डिस्कनेक्शन के स्पष्टता निर्दिष्ट कारण बताते हुए तीन सप्ताह की पूर्व सूचना दिए बिना सिग्नल डिस्कनेक्ट नहीं करेगा।

9.12 एलसीओ चैनल्स के सिग्नलों को निरंतर रूप में पनुर्प्रसारित करेगा और उन्हें ब्लॉक या बाधित नहीं करेगा।

10. एमएसओ एवं एलसीओ की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

क्र. स.	भूमिका	पक्षों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर एमएसओ और एलसीओ की भूमिकाएँ	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उपभोक्ताओं के द्वारा सेट टॉप बॉक्स (एसटीबीज़) रखने और उसे वापस करने तथा उसकी वारंटी/रिपेयरिंग की नीति को लोगों तक पहुँचाने के लिए विज्ञापन देना।	एमएसओ	
2.	सेवाओं की गुणवत्ता (क्यूओएस) के कार्यक्रम–1 में उल्लिखित किए गए केबल टीवी सेवाओं का कनेक्शन लेने, इसे वापस करना, पुनःकनेक्शन लेना, स्थानान्तरण करना और शिफ्ट करना आदि से संबंधित आवेदन का प्रारुप तैयार करना।		
3.	अभ्यास के मैनुअल (एमओपी) का प्रकाशन		
4.	उपभोक्ता चार्टर का प्रकाशन		
5.	वेबसाइट बनाना, जिसमें कि सेवा, शिकायत केंद्र की विस्तृत जानकारी, शिकायत निवारण व्यवस्था, शिकायत निगरानी व्यवस्था, नागरिक चार्टर एवं नोडल अधिकारी आदि की जानकारी दी गई हो।		
6.	क. इनके लिए शिकायत केंद्र की स्थापना (i) उपभोक्ताओं द्वारा सेवा अनुरोध की पहचान करना, (ii) उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। ख. वेब आधारित शिकायत निगरानी व्यवस्था की स्थापना। ग. टॉल फ्री कंज़्यूमर केयर नंबर उपलब्ध कराना तथा इसका प्रचार करना। घ. शिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत उभोक्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों के रिकॉर्ड का रख–रखाव करना।		एमएसओ शिकायत केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी तथा उपभोक्ता तक इसे पहुँचाने के लिए एलसीओ से संपर्क करेगा।

7.	सेवा में गतिरोध के कारण उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट या राहत की व्यवस्था का ब्योरा रखना तथा इस तरह की योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना।	एमएसओ	एलसीओ उस व्यवस्था का पालन करेगा जो एमएसओ द्वारा उसके लिए निर्दिष्ट की गई है तथा जो टीआरएआई के अधिनियम के अनुकूल है।
8.	क. सेट टॉप बॉक्स रखने तथा वापस करने और उस पर लागू होने वाली वारंटी/रिपेयरिंग नीति की जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करना। ख. उपभोक्ताओं को एमओपी के साथ आवेदन पत्र उपलब्ध कराना और ग. इनके लिए आवेदकों/उपभोक्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त करना (i) टीवी केवल सेवाओं का कनेक्शन, पुनःकनेक्शन, स्थानांतरण तथा इसे दूसरे जगह स्थापित करना; (ii) सेट टॉप बाक्स रखना तथा उसे वापस करना। (घ.) आवेदक/उपभोक्ता के घर में एसटीबी स्थापित करने एवं उसे शुरू करने की एसएमएस द्वारा जानकारी देने के स्वीकृति पत्र के तौर पर उपभोक्ताओं को आवेदन पत्र की प्रतिलिपि वापस करना। (ङ.) उपभोक्ता द्वारा दिए गए आवेदन में हुई गड़बड़ियों को आवेदन प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर उपभोक्ता को बताना। (च.) आवेदन प्राप्त होने के 2 दिनों के भीतर उपभोक्ता को तकनीकी और प्रचालन संबंधी परेशानियों के कारण कनेक्शन, पुनःकनेक्शन, दूसरी जगह पर एसटीबी को स्थापित करने का अनुरोध आदि पर कार्रवाई नहीं करने से संबंधित जानकारी देना।	एलसीओ एलसीओ	जिस पक्ष को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई है, वह किसी भी आवेदन की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) को अपडेट करे।
9.	आवेदनकर्ता के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईएन) जारी करना	एलसीओ	यूआईएन एसएमएस के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा और एमएसओ यूआईएन (सब्सक्राइबर आईडी) उत्पन्न करने के लिए एलसीओ को एसएमएस तक पहुँच प्रदान करेगा।
10.	उपभोक्ता के घर पर एसटीबी स्थापित करना तथा उसके चालू होने की सूचना एसएमएस के द्वारा देना।	एलसीओ	
11.	एसटीबी लगाने तथा उसे चालू करने में होने वाली देरी के लिए उपभोक्ता को छूट देना।	एलसीओ	
12.	उपभोक्ता को केबल सर्विस खत्म करने की स्थिति में 15 दिनों की अग्रिम सूचना देने का विश्वास दिलाना तथा उसके कारणों के बारे में संकेत देना।	एलसीओ	एमएसओ को 15 दिनों की पूर्व सूचना द्वारा डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के सिग्नल को निष्क्रिय करने का अधिकार है।

13.	उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन समाप्त करने या इसे निलंबित करने के अनुरोध की रसीद देना या सेवा के निलंबन तथा इसे चालू करने की सूचना एसएमएस के माध्यम से देना।	एलसीओ	
14.	सब्सक्रिप्शन पैकेज में बदलाव के अनुरोध की रसीद देना तथा इसके क्रियान्वयन की सूचना एसएमएस के माध्यम से देना।	एलसीओ	
15.	सुरक्षात्मक देखभाल के कारण सिग्नल में आई रुकावट की सूचना उपभोक्ता को देना।	एलसीओ	
16.	क्यूओएस अधिनियम के अनुसार ग्राहकों की शिकायतों के उत्तर देना।	एलसीओ	किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त शिकायत को तुरंत ही वेब आधारित शिकायत निगरानी सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा ताकि पक्ष के द्वारा समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके और इसी तरह की निगरानी शिकायतकर्ता भी अपनी शिकायत पर कर सके।
17.	क्यूओएस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता की शिकायतों का निवारणः– (i) 'कोई सिग्नल न होने से संबंधित; (ii) एसटीबी से संबंधित; (iii) ग्राहक के बिलिंग तथा रसीदों से संबंधित; (iv) कोई अन्य शिकायत।	एलसीओ	पक्ष के द्वारा शिकायत के निवारण को तत्काल वेब आधारित शिकायत निगरानी सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा।
18.	ग्राहक शिकायत निवारण अधिनियम के अनुसार नोडल अधिकारी का पद।	एमएसओ	
19.	प्राधिकरण द्वारा शिकायत के निवारण की सूचना प्राप्त होने पर इसे उपभोक्ता तक पहुँचाना।	एमएसओ	
20.	सिस्टम से तैयार किए हुए मदवार बिलों के प्रिंट निकालना तथा उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।	एलसीओ	
21.	उपभोक्ताओं को पेमेंट रसीद भेजना।	एलसीओ	
22.	उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट भेजना।	एमएसओ	
23.	6 महीने के भीतर किसी महीने के वास्तविक उपभोग के बारे में प्रीपेड उपभोक्ता द्वारा जानकारी मांगे जाने पर उसे उस अवधि के बिलों की सूचना देना।	एमएसओ	
24.	सरकार को करों का भुगतान करना।	एमएसओ और एलसीओ	सेवा करः– (i) एलसीओ के बिल पर एमएसओ द्वारा लगाए गए सेवा कर के भुगतान की ज़िम्मेदारी एमएसओ की होगी। (ii) एलसीओ द्वारा उपभोक्ता के बिल पर लगाए गए सेवा कर के भुगतान की ज़िम्मेदारी एलसीओ की होगी। मनोरंजन करः– (i) उपभोक्ताओं की बिलिंग पर लगाए गए मनोरंजन कर के भुगतान की ज़िम्मेदारी एलसीओ की होगी। (ii) एमएसओ द्वारा एलसीओ के बिलों

			पर लगाए गए मनोरंजन कर के भुगतान की ज़िम्मेदारी एमएसओ की होगी।

11. बिल तैयार करना

11.1 ग्राहक के लिए बिल तैयार करने का कार्य एलसीओ के नाम पर होगा। हालाँकि, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा की कर से जुड़े उपयुक्त कानून, नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

11.2 एलसीओ ग्राहकों द्वारा दी गई सब्सक्रिप्शन फीस का भुगतान प्राप्त करेगा। इस समझौते की उप धारा 12. 1 के अनुसार एलसीओ राजस्व के हिस्से का भुगतान एमएसओ से प्राप्त इनवॉइस की रसीद पर एमएसओ को करेगा।

12. एलसीओ और एमसीओ के बीच राजस्व संबंधी समायोजन तथा संबंधित अधिकार एवं दायित्व

12.1 एलसीओ और एमएसओ के बीच राजस्व संबंधी समायोजन निम्न प्रकार से होगाः—

(a) बेसिक सर्विस टियर के चैनलों, फ्री टू एयर चैनल और फ्री टू एयर चैनलों के समूह के सब्सक्रिप्शन से एकत्रित शुल्क एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 55:45 के अनुपात में बँटेगा

और

(b) चैनलों, चैनलों के समूह या उपधारा (अ) के अंतर्गत उल्लेखित चैनलों और चैनलों के समूहों के अतिरिक्त से प्राप्त संब्सक्रिप्शन से एकत्रित शुल्क का विभाजन एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 60:40 के अनुपात में होगा

और

(c) एक या एक से अधिक ए ल कार्टे चैनलों, ऐड ऑन पैक्स, एचडी चैनल्स पैक या एचडी ए ल कार्टे चैनलों या क्लॉज (a) और (b) के तहत अन्य निर्दिष्ट किए गए चैनलों के अतिरिक्त, के सब्सक्रिप्शन से एकत्रित शुल्क एमएसओ और एलसीओ के बीच क्रमशः 65:35 के अनुपात में विभाजित होगा।

12.2 एमएसओ राजस्व संबंधी समायोजन के लिए एलसीओ द्वारा देय राशि का एलसीओ को मासिक बिल जारी करेगा और इस बिल में वर्तमान देय और बकाया राशि, यदि कोई है, सहित भुगतान की नियत तिथि जो सात दिन से कम नहीं होगी, का स्पष्टतया उल्लेख होगा। बकाया राशि की कोई मांग बकाया राशि से संबंधित अवधि के लिए सेवा के बिल के प्रमाण के साथ होगी। बिल में बताई गई राशि इसमें उल्लेखित नियत तिथि पर या उससे पहले देय होगी।

12.3 एलसीओ ग्राहक से एकत्रित सब्सक्रिप्शन राशि का विवरण नियत तिथि से सात दिन के अंदर एसएमएस में अपडेट करेगा।

13. डिफॉल्ट्स

13.1 समझौते के प्रावधानों के तहत या विधि में प्राप्त अधिकारों और उपचारों को प्रभावित किए बिना, एमएसओ या एलसीओ द्वारा संबंधित नियत तिथि पर या उसके बाद देय राशि के भुगतान में देरी या विफलता की स्थिति में, जैसा भी हो, एलसीओ या एमएसओ, जैसा भी हो, यह अधिकार होंगेः—

(i) प्राधिकरण के उपयुक्त नियमों, विनियमों, निर्देशों या आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवा समाप्त करना;

(ii) उपयुक्त कानूनों के अनुपालन के अधीन अनुबंध समाप्त करना;

(iii) जिस तिथि से राशि बकाया है और जब तक अंतिम व पूर्ण रूप से चुका दी गई है, उस अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधार ऋण दर यानी 2 प्रतिशत या इससे अधिक के हिसाब से सामान्य ब्याज लगाना।

13.2 अगर कोई पक्ष विगत समय में लगातार तीन महीनों तक नियत तिथि पर या उससे पहले भुगतान करने में विफल होता है, तो दूसरी पार्टी को ब्याज मुक्त सिक्योरिटी डिपॉज़िट की मांग करने का अधिकार होगा, यह पिछले छह महीनों की बिल की राशि के औसत से अधिक नहीं होगी और समझौते की शेष अवधि के दौरान भी समान नियम बना रहेगा।

13.3 उपरोक्त उपधारा 13.1 में उल्लेखित सेवा की वापसी पर, समझौते की समाप्ति होने या न होने के साथ, दोषी पार्टी तत्काल पूर्ण देय राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी। समझौते की समाप्ति के मामले में खातों का 30 दिनों के अंदर निपटारा कर दिया जाएगा और देरी से हुए भुगतान के लिए पार्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधार ऋण दर यानी 2 प्रतिशत या इससे अधिक के हिसाब से सामान्य ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदाई होगी।

14. शपथ

14.1 प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के स्वामित्व वाली और स्थापित संपत्ति का विशेष स्वामित्व स्वीकार करेगा और उस पर किसी अधिकार, नाम या लाभ या धारणाधिकार का दावा नहीं करेगा।

14.2 इसमें ऐसा कुछ निहित नहीं है जो किसी उद्देश्य के लिए किसी एक पक्ष को एजेंट या साझेदार या दूसरे का प्रतिनिधि स्थापित करेगा और न ही किसी एक पक्ष को दूसरे पक्ष के नाम पर या उसकी ओर से कोई प्रकट या अंतर्निहित जिम्मेदारी या दायित्व की कल्पना करने, सृजन या वहन करने का अधिकार या शक्ति होगी। एमएसओ एवं एलसीओ के बीच संबंध ''प्रधान से प्रधान'' के आधार पर बना रहेगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात है कि ''सिटी'' के एक या एक से अधिक लोगो एमएसओ का एक पंजीकृत ट्रेड मार्क है और एलसीओ इस लोगो का उपयोग केवल इस समझौते की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलिविज़न नेटवर्किंग बिज़नस के लाभ हेतु करेगा। एमएसओ के कारोबार के सिलसिले में लोगो के इस्तेमाल के लिए एतद्द्वारा एलसीओ को एमएसओ की सहमति दी जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात है कि ''सिटी'' के एक या एक से अधिक लोगो एलसीओ का एक पंजीकृत ट्रेड मार्क है और एमएसओ इस लोगो का उपयोग केवल इस समझौते की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलिविजन नेटवर्किंग बिज़नस के लाभ हेतु करेगा। एलसीओ के कारोबार के सिलसिले में लोगो के इस्तेमाल के लिए एतद्द्वारा एमएसओ को एलसीओ की सहमति दी जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात और स्वीकृत है कि उन्हें दूसरे की बौद्धिक संपदा का अपनी केबल टीवी सेवा पर या अन्य तरीके से, दूसरे पक्ष द्वारा ऐसे उपयोग पर स्वीकृति वापस लेने पर या उसके बाद, उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

14.6 एलसीओ और एमएसओ द्वारा, जैसा भी मामला हो, केबल टीवी सेवा उपलब्ध कराने के अपने कारोबार से संबंधित हित को किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तीसरा पक्ष) को हस्तान्तरित करने के निर्णय के मामले में एलसीओ या एमएसओ, जैसा भी मामला हो, एमएसओ या एलसीओ को पूर्व सूचना देगा। एक पार्टी को ऐसे हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि दूसरी पार्टी ने अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है और संपूर्ण देय राशि का भुगतान कर दिया है।

हालाँकि, इस समझौते के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, तीसरा पक्ष एमएसओ या एलसीओ, जैसा भी मामला हो, की संतुष्टि के लिए समझौते की शर्तों और नियमों तथा अन्य शपथ/अनुबंध के अनुपालन की प्रसंविदा निष्पादित और हस्ताक्षरित करेगा।

14.7 एलसीओ केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार समय–समय पर अपने डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र का लगातार नवीकरण कराता रहेगा और डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के नियमों व शर्तों का अनुपालन करेगा।

14.8 एमएसओ केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार समय–समय पर अपने डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र का लगातार नवीकरण कराता रहेगा।

14.9 दोनों पक्ष केबल टेलिविज़न नेटवर्क नियमों, 1994, समय–समय पर संशोधित, में निर्धारित कार्यक्रम नियमावली और विज्ञापन नियमावली का अनुपालन करेंगे।

14.10 दोनों पक्ष उन पर लागू, भारत में तत्समय प्रवृत्त के लिए लागू कानूनों का अनुपालन करेंगे।

15. पाइरेसी पर रोक

15.1 दोनों पक्ष पाइरेसी या हार्डवेयर या इसके किसी घटक में उपयोग किसी तकनीक की विपरीत अभियांत्रिकी में न स्वयं संलिप्त होंगे या न किसी व्यक्ति को संलिप्त होने की अनुमति देंगे और न ही वे हेड–एंड से उत्पन्न सिग्नल्स के पुनर्प्रसारण के लिए एक मिनि हेड–एंड स्थापित करने के लिए किसी उपकरण से जुड़े हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।

15.2 किसी ग्राहक के पाइरेसी में संलिप्त या सहयोगी पाए जाने पर एमएसओ या एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपयुक्त विनियमों के अनुसार पूर्व सूचना देने के बाद उस ग्राहक के सिग्नल डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे।

16. अस्वीकृति एवं क्षतिपूर्ति

16.1 किसी घटना में किसी भी अप्रत्यक्ष, विशेष, आकस्मिक और परिणामी क्षति के होने या कनेक्शन में खराबी या किसी अन्य खराबी के चलते सेवा में बाधा आने और असुविधा होने या किसी क्षति एवं खराबी के चलते किसी भी कार्यक्रम अथवा सूचना से वंचित होने, जो एमएसओ के कारण से नहीं भी है, उस स्थिति में एमएसओ, एलसीओ के प्रति उत्तरदाई होगा।

16.2 किसी घटना में किसी भी अप्रत्यक्ष, विशेष, आकस्मिक और परिणामी क्षति के होने या कनेक्शन में खराबी या किसी अन्य खराबी के चलते सेवा में बाधा आने और असुविधा होने या किसी क्षति एवं खराबी के चलते किसी भी कार्यक्रम अथवा सूचना से वंचित होने, जो एलसीओ के कारण से नहीं भी है, उस स्थिति में भी एलसीओ, एमएसओ के प्रति उत्तरदाई होगा।

16.3 एलसीओ की गलती के कारण या अनुबंध की समाप्ति या एलसीओ के समझौते के उल्लंघन के कारण किसी तीसरी पार्टी या ग्राहकों को असुविधा, हानि या दिक्कत होने की स्थिति में उनके द्वारा कोई दावा, कार्रवाई या कार्यवाही के कारण लगी पूर्ण लागत, खर्च और क्षति का हर्ज़ाना एलसीओ द्वारा एमएसओ की दिया जाएगा।

16.4 एमएसओ की गलती के कारण अनुबंध की समाप्ति या सेवा के निलंबन के कारण एमएसओ के समझौते के उल्लंघन के कारण किसी तीसरी पार्टी या ग्राहकों को असुविधा, हानि या दिक्कत होने की स्थिति में उनके द्वारा कोई दावा, कार्रवाई या कार्यवाही के कारण लगी पूर्ण लागत, खर्च और क्षति का हर्जाना एमएसओ द्वारा एलसीओ की दिया जाएगा।

17. शासकीय कानून एवं विवाद समाधान

17.1 जैसा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के आदेशित है कि कोई भी पक्ष किसी दावे या आपसी विवाद या दूरी के लिए टेलिकॉम डिस्प्यूट्स सेटेलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्युनल, नई दिल्ली (**"टीडीएसएटी"**) के अलावा भारत की किसी अन्य अदालत या न्यायिक ट्रिब्युनल/प्राधिकरण में मुकदमे या

उपचार या अंतरिम आदेश के लिए नहीं जाएगा। सभी पक्षों ने इसे स्वीकार किया है कि किसी भी प्रकार के विवाद को टीडीएसएटी के द्वारा ही सुलझाया जाएगा।

18. अप्रत्याशित घटना

18.1 एमएसओ और एलसीओ की ओर से अपने दायित्व की पूर्ति में विफल होने पर कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष पर कोई दावा करने या समझौते के उल्लंघन का हकदार नहीं होगा, जब ऐसी घटना किसी अप्रत्याशित घटना के कारण होती है। अगर अनुबंध समझौते के मुताबिक अप्रत्याशित घटना के कारण किसी एक पक्ष द्वारा किसी दायित्व को पूरा करने में देरी हुई है, तो इस समझौते में इस विलंब की अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। अप्रत्याशित घटना में ईशवरीय हानि, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, बिजली, विस्फोट, आग, तोड़फोड़, गुणवत्ता में बदलाव, महामारी, आगजनी, नागरिक अशांति, आतंकवादी हमला, युद्ध की परिस्थिति या किसी भी कानून या नियमों के लागू होने से और अधिकारियों द्वारा किए गए विनियमन और पक्षों के पंजीकरण के खंडन, पक्षों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से कोई परिस्थिति, जो यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक पक्ष को अपेक्षित लेन–देन की समाप्ति के साथ प्रारंभ या कार्यवाही करने से रोके या बाधित करे, को ही शामिल किया जाएगा। इस तरह की अप्रत्याशित घटना से प्रभावित कोई पक्ष तुरंत अन्य पक्ष को सूचित करेगा। पक्षों के बीच यह सहमति होगी कि किसी भी घटना के घटने पर या अप्रत्याशित घटना के होने पर धन की कमी नहीं होगी। अगर अप्रत्याशित घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक बनी रहती है, तो दोनों पक्ष समझौते के भविष्य में प्रदर्शन के संबंध में निर्णय लेने के लिए मिलेंगे। अगर दोनों पक्ष भविष्य के लिए किसी योजना पर सहमत नहीं होते हैं, तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जारी नोटिस की तिथि से एक महीने बाद समझौता समाप्त हो जाएगा।

18.2 अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ से पहले किसी पक्ष का उपार्जित भुगतान दायित्व ऐसी अप्रत्याश्ति घटना के आधार पर अनुबंध की समाप्ति को रोकेगा।

19. सूचना

19.1 एक पक्ष द्वारा दूसरे को दिया गया नोटिस वैध रूप से भेजा गया माना जाएगा यदि वह रजिस्टर्ड पोस्ट एकनॉलेजमेंट ड्यू (आरपीएडी) से या डाक विभाग, भारत सरकार की स्पीड पोस्ट सेवा से या एलसीओ की......... .... ई–मेल आईडी पर ई–मेल में भेजा गया हो, प्रारंभ में उल्लेखित पते पर या एलसीओ के निम्नलिखित पते.. .... पर या पक्ष द्वारा सूचित किए गए अन्य परिवर्तित पते पर व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द विधिवत अभिस्वीकृत हो। परिवर्तित पते की सूचना की प्राप्ति की तिथि दूसरे पक्ष को प्राप्ति की तिथि के समान हो या आरपीएडी से प्रेषित करने की तिथि से सात दिन पहले हो, जो भी पहले हो।

20. स्थानांतरण पर प्रतिबंध

20.1 किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पार्टी के अधिकार के संपूर्ण नेटवर्क या उसके कुछ हिस्से को समाप्त करने, बेचने, सौंपने, निलाम करने, स्थानान्तरित करने या किराए पर देने तथा उसके ऊपर ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई पक्ष उपर्युक्त गतिविधियों में संलिप्त होता है, तो यह अवैध तथा कानूनी तौर पर असंगत होगा तथा इन गतिविधियों के लिए उपयुक्त कानून के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए वह स्वयं उत्तरदाई होगा।

21. गोपनीयता

21.1 पक्षों के आपसी मसलों/कार्यों के संबंध में किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे को दी गई सूचना किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने उजागर नहीं की जाएगी, जो इस अनुबंध में शामिल पक्ष न हो।

21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, सलाहकारों, सहयोगियों, कॉन्ट्रैक्टर्स, एजेंट, आधिकारिक व्यक्तियों और उनके ही समान व्यक्तियों को भी अनुबंध की गोपनीयता बनाए रखने को बाध्य करेगी, ताकि ये लोग किसी अन्य पक्ष को गुप्त सूचना न दे सकें।

21.3 सभी पक्ष इस पर सहमत हैं कि वैधानिक अधिकारियों की मांग पर गोपनीय सूचनाएँ उन्हें दी जा सकती हैं।

22. संशोधन

22.1 अनुबंध को केवल लिखित में ही संशोधित, परिवर्तित या समाप्त किया जा सकता है, इसके अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं। अनुबंध में किसी तरह का परिवर्तन चाहे वह उसके कार्यक्रम, संलग्नक या अनुबंध में बाद में जोड़ा जाने वाला हो या फिर किसी भी तरह के कागजात जिसे किसी भी नाम से जाना जाता हो लेकिन इस अनुबंध से संबंधित हो, में परिवर्तन दोनों पक्षों की आपसी सहमति से केवल लिखित में होगा।

23. बाध्यकारी प्रभाव

23.1 इस अनुबंध में सभी पक्षों के पूर्व समझौतों को समाहित कर लिया गया है और इसे लिखित के अलावा किसी भी अन्य तरीकों से किसी भी पक्ष द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पक्षों के बीच का कोई अन्य समझौता, जो अलग संदर्भों में है और जिसका ज़िक्र इस अनुबंध में नहीं किया गया है, अगर कोई ऐसा समझौता है तो इसे पूरी तरह प्रभावकारी तरीके से जारी रखा जाएगा।

जिन लोगों की उपस्थिति में उपर्युक्त उल्लेखित तिथि और साल पर इस अनुबंध को पक्षों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका विवरण इस प्रकार है।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षरित

(______________________________)

1. ....
2. ....

की उपस्थिति में

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षरित

(______________________________)

1. ....
2. ....

की उपस्थिति में

सारणी

परिभाषाएं एवं स्पष्टीकरण

क. परिभाषाएं

इस समझौते में, जब तक कि आवश्यकता न हो, निम्नलिखित शब्दों और भावों का अर्थ वही होगा, जो यहां नीचे निर्धारित है :

(क) ''**अधिनियम**'' का अर्थ है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय–समय पर हुए संशोधन के अनुसार;

(ख) ''**एड्रेसेबल प्रणाली**'' का अर्थ वही होगा जो केबल टेलिविज़न नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) में इसके लिए नियत किया गया है, समय–समय पर हुए संशोधन के अनुसार;

(ग) ''**प्राधिकरण**'' का अर्थ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है;

(घ) ''**बेसिक सर्विस टीयर**'' का अर्थ वही होगा जो टेरिफ आदेश में इसके लिए नियत किया गया है।

(ड.) ''**समूह**'' **या** ''**चैनल के समूहों**'' का अर्थ है अलग–अलग चैनलों का वर्गीकरण, समूह या बंडल के रूप में पेश किए गए है;

(च) ''**प्रसारक**'' का अर्थ है कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, या निगमित निकाय, या कोई संस्थान या निकाय, जो केंद्रीय सरकार से अपने नाम पर, अपलिंकिंग अनुमति या डाउनलिंकिंग अनुमति, जो भी उसके चैनल के लिए उपयुक्त हो, प्राप्त होने के बाद प्रोग्रामिंग सेवा उपलब्ध कराता है;

(छ) ''**केबल सेवा या केबल टीवी सेवा**'' का अर्थ है किसी प्रसारण टेलिविज़न सिग्नलों के केबल द्वारा कार्यक्रमों का प्रेषण या केबलों द्वारा पुनर्प्रेषण।

(ज) ''**केबल टेलिविज़न नेटवर्क या केबल टीवी नेटवर्क**'' का अर्थ है क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ का एक सेट एवं संयुक्त सिग्नल उत्पादन, नियंत्रण एवं उपकरण वितरण निहित कोई प्रणाली, बहु ग्राहक द्वारा अभिग्रहण के लिए केबल सेवा प्रदान करने हेतु डिजाइन की गई;

(1) **''चैनल या टीवी चैनल''** का अर्थ है एक चैनल, जो निम्नलिखित के तहत पंजीकृत हो –

(i) देखें जारी संख्या 1501/2/2002–टीवी(I)(पीटी.), दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 को भारत से अपलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश; या

(ii) टेलिविजन, चैनल्स की डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, देखें जारी संख्या 13/2/2002–बीपीएंडएल/बीसी–iv, दिनांक 11 नवंबर, 2005, ...

समय–समय पर संशोधित, या टेलिविज़न चैनलों की अपलिंकिंग या डाउनलिंकिंग के लिए अन्य दिशानिर्देश, भारत सरकार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा समय–समय पर जारी किए जा सकते हैं और 'चैनल' शब्द के संदर्भ को ''चैनल या टीवी चैनल'' के संदर्भ के तौर पर समझा जाएगा;

(झ) ''**शिकायत केंद्र**'' का अर्थ है उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिनियम के तहत बहु–प्रणाली संचालक या उसके लिंक हुए स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्थापित सुविधा;

(ञ) ''**उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिनियम**'' का अर्थ है उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम) अधिनियम, 2012 (2012 का 13), दिनांक 14 मई, 2012, समय–समय पर हुए संशोधन के अनुसार;

(ट) ''**सीटीएन अधिनियम**'' का अर्थ है केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (विनियम) अधिनियम, 1995, (1995 का 7), समय–समय पर संशोधन के अनुसार;

(ठ) ''**एनक्रिप्शन या एनक्रिप्टेड**'', केबल टेलिविजन नेटवर्क के संबंध में, का अर्थ है एक व्यवस्थित तरीके से ऐसे सिग्नल को बदलना ताकि सिग्नल एक एड्रेसेबल सिस्टम के उपयोग के बिना अस्पष्ट होगा और उसी प्रकार से एक्सप्रेशन ''अनएनक्रिप्टेड'' समझा जाएगा;

(ड) ''**फ्री टू एयर चैनल**'' का अर्थ वही होगा जो टेरिफ आदेश में इसके लिए नियत किया गया है।

(ढ) ''**हार्डवेयर**'' का अर्थ है एंक्रिप्टेड रूप में प्रेषित चैनलों के सिग्नलों, रिमोट और अन्य सहयोगी घटकों व एसेसरीज़ के डिक्रिप्शन में सक्षम बहु–प्रणाली संचालक द्वारा स्वीकृत सेट टॉप बॉक्स।

(ण) ''**हेडएंड**'' का अर्थ है एक सुविधा जिसमें सेटेलाइट रिसीवर्स, मॉड्यूलेटर, संपीड़न उपकरण, मल्टीप्लेक्स और सशर्त अभिगमन सेवाएँ, अन्य प्रेषण उपकरण सम्मिलित हैं और जिसमें एंटीना हैं, जो सेटेलाइट से और/या सीधे ग्राहक को पुनर्प्रेषण के लिए स्थानीय स्टूडियों से या लिंक किए हुए एलसीओ के ज़रिए सिग्नल प्राप्त करते हैं;

(त) ''**अंतःसंबंधन अधिनियम**'' का अर्थ है दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंबंधन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलिविज़न सिस्टम) अधिनियम, 2012 (2012 का 9), दिनांक 30 अप्रैल, 2012, समय–समय पर हुए संशोधन के अनुसार;

(थ) ''**कार्यप्रणाली की नियमावली (एमओपी)**'' का अर्थ है क्यूओएस (सेवा की गुणवत्ता) अधिनियम में संदर्भित कार्यप्रणाली की नियमावली;

(द) ''**नोडल अधिकारी**'' का अर्थ है उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत बहु–प्रणाली संचालक या उससे जुड़े हुए स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा, जो भी मामला हो, नियुक्त या मनोनित अधिकारी;

(ध) ''**पे चैनल**'' का अर्थ वही होगा, जो टेरिफ आदेश में इसके लिए नियत किया गया है;

(न) ''**पाइरेसी**'' का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी माध्यम या साधन से केबल टीवी सिग्नल का अनधिकृत अभिग्रहण, पुनर्प्रेषण या पुनर्वितरण। इन माध्यमों या साधनों में सम्मिलित हैं लेकिन सीमित नहीं, सील या किसी घटक या उसकी एक्सेसरी में कोई फेरबदल/छेड़छाड़ या दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, हटाना और/या हार्डवेयर का स्थानांनतरण या कोई भी उपयोग, सेट टॉप बॉक्स से पहले और बाद में, कोई डिकोडिंग, प्राप्ति, रिकॉर्डिंग उपकरण, नकली या अनधिकृत डिवाइस या अन्य गतिविधियां, जिनके परिणाम या प्रभाव एमएसओ या एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेड मार्क और कॉपीराइट की अवहेलना तथा उल्लघंन के तौर पर समाने आएं;

(प) ''**कार्यक्रम**'' का अर्थ है कोई टेलिविज़न प्रसारण और इसमें सम्मिलित है;

(i) फिल्म, कथा, नाटक, विज्ञापन और धारावाहिक;

(ii) कोई दृश्य या श्रव्य या श्रव्य–दृश्य सीधा प्रसारित प्रदर्शन या प्रस्तुति और....

भाव ''कार्यक्रम सेवा'' उसी के अनुसार समझे जाएंगे;

(फ) ''**क्यूओएस अधिनियम**'' का अर्थ है सेवा की गुणवत्ता के मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम्स) अधिनियम, 2012 (2012 का 12), दिनांक 14 मई, 2012, समय–समय पर हुए संशोधन के अनुसार;

(ब) ''**सेट टॉप बॉक्स या एसटीबी**'' का अर्थ है एक डिवाइस, जो एक टेलिविज़न से जुड़ी है या उसका हिस्सा है और जो ग्राहक को एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से अनएनक्रिप्टेड और सुलझे रूप में सब्सक्राइब किए हुए चैनल प्राप्त करने की अनुमति देती है;

(भ) ''**स्मार्ट कार्ड**'' का अर्थ है बहु–प्रणाली संचालक द्वारा हार्डवेयर के एक हिस्से के तौर पर विधिवत अनुमोदित कार्ड, जो ग्राहक को चैनलों के केबल टीवी सिग्नलों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

(म) ''**ग्राहक**'' का अर्थ है एक व्यक्ति जो बहु–प्रणाली संचालक या केबल ऑपरेटर को, जो भी मामला हो, उसके द्वारा सूचित स्थान में बहु–प्रणाली संचालक या केबल ऑपरेटर से किसी अन्य व्यक्ति को आगे प्रेषित किए बिना, प्रसारण सेवा या केबल सेवा प्राप्त करता है और सामान्य ग्राहक एवं व्यावसायिक ग्राहक सम्मिलित हैं जब तक कि विशेष रूप से निकाला नहीं गया है;

''शंकाओं के निदान के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसर में लगा प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स एक ग्राहक समझा जाएगा;''

(य) ''**सबस्क्राइबर प्रबंधन व्यवस्था या एसएमएस**'' एक व्यवस्था या डिवाइस है, जहां ग्राहक के रिकॉर्ड्स एवं उसका विस्तृत विवरण रखा जाता है, जिसके अंतर्गत ग्राहक का नाम, पता, उसके द्वारा उपयोग किया गया हार्डवेयर, ग्राहक के द्वारा उपयोग किया गया चैनल या चैनलों का समूह तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत परिभाषित इन चैनलों या चैनल समूह की कीमत, किसी भी चैनल या चैनलों के समूह को सक्रिय एवं निष्क्रिय करने की तारीख और समय;

ग्राहक के रिकॉर्ड पर की गई सभी गतिविधियां, प्रत्येक ग्राहक के ऊपर लगाए गए सभी चालान एवं प्रत्येक बिल के साथ ग्राहक द्वारा दी जाने वाली राशि एवं उन्हें दी गई छूट शामिल है;

(र) **''टैरिफ आदेश''** का मतलब 21 जुलाई, 2010 को तय किया गया और समय–समय पर संशोधित दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) है;

(ल) ''**ट्रंक लाइन**'' का अर्थ है मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर या इसकी सहयोगी कंपनियों द्वारा विभिन्न एलसीओ को टीवी सिग्नल के प्रसारण तथा उसे विभिन्न एलसीओ तक पहुंचाने और उसे संबंधित ग्राहक तक पुनर्प्रसारित करने हेतु मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर द्वारा स्थापित कोएक्सिल/ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क एवं अन्य उपकरण जैसे रिसिवर नोड्स, एम्पलीफायर, स्पिलटर आदि होता है;

इसके अलावा अन्य शब्दों एवं भावों, जिसका उपयोग इस अंतःसंबंधन समझौते में किया तो गया है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है, को सीटीएन अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम कानून के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार माना जाएगा तथा उसे इन नियम कानूनों के अनुसार जब जरूरत हो तो उपयोग किया जाएगा।

(ब) **स्पष्टीकरण**

इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न होः

(क) जब तक कि परिस्थिति की मांग न हो, समझौते के अंतर्गत एकवचन के संदर्भ में बहुवचन का संदर्भ और बहुवचन के संदर्भ में एकवचन का संदर्भ सम्मिलित होगा और इसी तरह एक लिंग का जिक्र होने पर अन्य दूसरे लिंग को भी उसके अंतर्गत समाहित समझा जाएगा;

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द के अंतर्गत व्यक्तिगत, निगम, साझेदारी एवं व्यक्तियों का संगठन तथा अन्य संस्था भी सम्मिलित होगी;

(ग) जब तक कि विशेष तौर पर बताया न गया हो तब तक अनुच्छेद, खंड, उप–खंड, परिशिष्ट, अनुबंध एवं समय सारणी का अर्थ इस समझौते के अंतर्गत बताई गई अनुच्छेद, खंड, उप–खंड, परिशिष्ट, अनुबंध एवं समय सारणी से ही होगा;

(घ) ''महीने'' के जिक्र का अर्थ कैलेंडर का महीने से है;

(ड.) शीर्षक और नाम केवल संदर्भ की सुविधा के लिए है और यह इस समझौते के स्पष्टीकरण के लिए प्रभावी नहीं होंगे। इसके साथ–साथ इस समझौते के विभिन्न परिच्छेदों के स्प्ष्टीकरण को लयबद्ध तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा और इसका स्वतंत्र विश्लेषण भी नहीं किया जाएगा;

(च) किसी भी तरह के कानून, नियम, वैधानिक प्रावधान, आदेश, निर्देश एवं नीति आदि को समय–समय पर संशोधित किया हुआ, बदला हुआ या सांकेतिक तौर पर बदला हुआ, सुधार किया हुआ एवं पुनः लागू किया गया कानून, नियम, वैधानिक प्रावधान, आदेश, निर्देश एवं नीति आदि के तौर पर समझा जाएगा।